

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूलशि.प./जय/शालादर्पण/2018/272

दिनांक: 23 / 07 / 2018

## आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 20 सितम्बर 2016 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed./B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed./ B.Ed.M.Ed/ M.Sc.B.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में ही किया जाना निश्चित किया गया है। इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है जिसमें पूर्व आदेशों के क्रम में निम्न बिन्दु जोड़े जाते हैं -

1. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) है, और सत्र 2018-19 में द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप करना चाहता है तो उसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पर होगी तथा उनको विद्यालय आवंटन अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही किया जायेगा।
2. यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएँ महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित महाविद्यालय की होगी।
3. यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया, किन्तु किसी भी कारणवश उसने विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा किन्तु महाविद्यालय के लिखित अनुरोध पर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति जारी की जावे। सम्बंधित संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवायेगा।
4. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किन्तु उसका इंटर्नशिप हेतु सूचनाये शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरी गई तो इंटर्नशिप के अंतिम राउंड में सम्बंधित महाविद्यालय को उसकी सूचनाये भरने का मौका भी दिया जावे, जिससे सम्बंधित महाविद्यालय उसकी सूचनाये भरे और शाला दर्पण से उनको विद्यालय आवंटित किया जावे।
5. प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय के द्वारा भरी गई विद्यालय चॉइस को Edit/Delete करने का Option पोर्टल पर प्रारंभ किया जाए तथा प्रशिक्षणार्थी उसको आवश्यक रूप से जाँच लेवे

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक


दिनांक: 23 / 07 / 2018

क्रमांक : रा.स्कूलशि.प./जय/शालादर्पण/2018/272

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर।

6. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, NIC-रमसा, जयपुर को देकर लेख है कि पोर्टल पर उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार संशोधन करें।
7. श्री बी.के. गुप्ता, विशेषाधिकारी, शिक्षा, राजस्थान।
8. उपनिदेशक मा०शि०/प्रा०शि०, समस्त संभाग।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, प्रा०शि० बीकानेर, राजस्थान।
10. जिला शिक्षा अधिकारी मा०शि०/प्रा०शि० (प्रथम/द्वितीय), समस्त जिले।
11. उपशासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर
12. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर
13. डॉ० देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर संशोधन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावलीं



उपायुक्त-III

रा.स्कूल शिक्षा परिषद्